उत्तर प्रदेश शासन,

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

संख्या- 32/2018/ सा0-830/38-2-2018-24बी/2017,

लखनऊ: दिनांक: 13 जुलाई, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-33 सन् 1961) की धारा-3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या-5445/38-3-478/70, दिनांक 18 सितम्बर, 1972 का आंशिक उपान्तरण करके राज्यपाल, जिला-**गोरखपुर** में एक नया विकास खण्ड '**भरोहिया**' सृजित करते हैं और इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा-विनिर्दिष्ट विकास खण्ड-जंगल कौड़िया एवं कैम्पियरगंज के ग्रामीण क्षेत्रों को उपांतरित करते हैं और यह निदेश देते हैं कि उक्त स्तम्भ-2 में उल्लिखित खण्डों में वे क्षेत्र होंगे जो नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रत्येक खण्ड के समक्ष उल्लिखित ग्राम पंचायत सर्किलों में सम्मिलित हैं।

अनुसूची

जिला का नाम	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत सर्किल, जिनसे खण्ड के क्षेत्र का गठन होगा
1	2	3
गोरखपुर	जंगल कौडिया	जंगल कौडिया, चिउटहॉ, गायघाट, अजीजुल्लाह उर्फ चकिया, गोसाईपुर उर्फ जिन्दापुर, डीहाघाट, सिहोरवा, प्रतापपुर, अहिरौली, केवटलिया, फुलवरिया, बेलघाट खुर्द, एकमा, मझगावॉ, गोविन्दपुर, गौरा खास, डोमिनगढ़, उत्तरासोत, घुनघुनकोठा, मंझरिया प्रथम, भण्डारो, भिटनी, बेला, जमुआड़, मुहम्मदपुर माफी, रोहुआ, भौरामल, डोहरिया, काजीपुर, कडंजहवॉ, तारगचक, बरियारपुर, शेरपुर चमराह, बुढियाबारी, कुसहरा, बौरडीह, कुडवा, मैनाभागर, दहला, उस्का, मीरपुर, मटियारी, भीटी, पचवारा खास, तालिलिखिया, डाढाडीह, नयागांव, रामूघाट, रसुलपुर चकिया, रायपुर।
	कैम्पियरगंज	आलमचक, शिवलहिया, महावनखोर, बादशाहपुर, कुन्जलगढ़, बैजनाथपुर, धरमपुर, रामनगरकेवटलिया,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		नवापार, बजहाँ, बजही, अलगटपुर, लक्ष्मीपुर प्रथम, रामचौरा, अलेनाबाद, मरहठा, मेझुका, मरहरी, खडखडिया, जवैनिहा, बडुआ, मोगलहा, कुनवार, बन्दोह, रामकोला, बलुआ, सोनौरा खुर्द, विशुनपुर प्रथम, डुमरिया, सोनौरा बुजुर्ग, रिगौली, खजुरगावॉ, भैंसला, भगवानपुर, छितही खुर्द, पोआ, अहिरौली, बनकटा, कहरौली, तालबंजरहा, सनगद, गेरूई खुर्द, बरईपार, मिरिहिरियॉ, गोपलापुर, पचमा, मूसाबार, शिवपुर करमहवॉ, जनकपुर, तेनुआविसम्भरपुर, गुलरिहा, भरवलिया, मछलीगॉव, बरगदही, चौरी, करीमनगर, इन्दरपुर, रमवापुर, विशुनपुर द्वितीय, माधोपुर, गोपालगंज उर्फ हरनामपुर, भौराबारी, चन्दीपुर, अलीगढ़, मोहम्मदपुर उर्फ हगना, लक्ष्मीपुर द्वितीय, सरपतहा, मोहनाग, मोहम्मदपुर उर्फ जंगल बब्बन, सूरस, राजपुर, चौमुखा, ठाकुरनगर, बसन्तपुर, बनभागलपुर, कैम्पियरनगर, लोहरपुरवा।
	भरोहिया	जंगल बिहुली, जंगल अगही, कल्यानपुर, अकटहवॉ, साहबगंज, जंगल झझवॉ, कुई, मखनहॉ, बगहीभारी, बढ़या, करतहरी, चौकमाफी, हडखोरी, पचगावॉ, भुईधरपुर, मझौना, हिरूआ, फरदहनी, ठकुरापार, बान, जगदीशपुर, राखुखोर, नुरूद्दीनचक, गोपलापुर, तिघरा, हरपुर, कोल्हुआ, रामपुर कैथवलिया, रमवापुर, भरोहिया, सरहरी, बढ़नी, बुडेली, बिस्टौली, भम्भौर, लक्ष्मीपुर, नीबा, मंगलपुर, मंझरिया, जसवल, साखी, बैरघट्टा, रन्नाडीह, मडहा, नयनसर, राजाबारी, तुर्कवलिया, बारहपाटी।

2- विकास खण्ड-पीपीगंज, जिला गोरखपुर के सृजन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या-4/2018/सा0-57/38-2-2018-24बी-2017, दिनांक 16 जनवरी, 2018 एतद्द्वारा रद्द की जाती है और पीपीगंज के स्थान पर विकास खण्ड भरोहिया का सृजन किया जाता है। विकास खण्ड भरोहिया का मुख्यालय भरोहिया में स्थापित किया जायेगा।

आज्ञा से,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-32 /2018/सा0-830 (1)/38-2-2018-24बी/2017, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त संयुक्त/उप विकास अधिकारी,उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- विधायी अनुभाग-1
9- पुस्तकालयाध्यक्ष, विधान सभा पुस्तकालय, विधान सभा सचिवालय को 05 प्रतियां।
10- पंचायतीराज अनुभाग-1/2/3
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
12- संयुक्त सचिव, भाषा विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय को इस अधिसूचना को उर्दू में अनुवाद कर असाधारण गजट में प्रकाशित कराने हेतु।
13- समस्त अनुभाग, ग्राम्य विकास विभाग।
14- समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ।

आज्ञा से,

टी0के0 शिबु
विशेष सचिव।

संख्या-32/2018/सा0-830(2)/38-2-2018-24बी/2017, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपिअधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय शाखा मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को आगामी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 के खण्ड-ख के परिनियम आदेश में प्रकाशनार्थ प्रेषित। मुद्रितअधिसूचना की 500 प्रतियां कृपया ग्राम्य विकास अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सचिवालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

टी0के0 शिबु
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Uttar Pradesh Shasan
Gram Vikas Anubhag-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.-32 /2018/sa-830/38-2-2018-24B/2017, Dated: July 13 , 2018.

NOTIFICATION

No.- 32 /2018/sa-830/ 38-2-2018-24B/2017.
Lucknow: Dated: July 13 , 2018

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 (U.P. Act. no. 33 of 1961) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 (U.P. Act no 1of 1904) and in partial modification of notification no. 5445/XXXVIII-3-478-70, dated September 18, 1972 as amended from time to time, the Governor is pleased to create a new Vikas Khand Bharohiya district Gorakhpur and to modify the rural areas of Vikas Khand Jangal Kauria and Campierganj as specified in column 2 of the Schedule below with effect from the date of publication this notification in the Gazette and to direct that the Khands mentioned in the said column 2 shall consist of the areas comprise the Gram Panchayat circles mentioned against each khand in column 3 of the Schedule below :-

SCHEDULE

Name of District	Name of Khand	Gram Panchayat circle which shall constitute the area of the Khand
1	2	3
Gorakhpur	Jangal Kauria	Jangal Kauria, Chiutaha, Gayghat, Azizullah Urf Chakia, Gosaipur urf Jindapur, Dihaghat, Sihorwa, Pratappur, Ahirauli, Keotalia, Phulwaria, Belghat Khurd, Ekama, Majhganwa, Govindpur, Gaurakhas, Domin Garh(part), Uttrasot, Ghunghunkotha, Manjharia first, Bhandaro, Bhitani, Bela, Jamuar, Mohmmadpur Mafi, Rohua, Bhauramal, Doharia, Kazipur, Karnjahwa, Tarangchak, Bariarpur, Sherpur Chamrah, Budhiya Bari, Kushahra, Baur Deeh, Kudwa, Maina Bhagar, Dahla, Usaka, Meer Pur, Matiyari, Bhiti, Pachvara Khas, Tal Likkia, Dhadhadih, Naya Gaon, Ramughat, Rasulpur Chakiya, Raipur.
	Campierganj	Alamchak, Shivlahiya, Mahawankhor, Badshahpur, Kunjalgarh, Baijnath pur, Dharampur, Ramnagar Kewtaliya, Navapar, Bajaha, Bajahi, Alagatpur, Lakhmipur-1st, Ramchaura, Alenabad, Marahatha, Mejhuka, Marhari, Khadkhadiya, Jabainiha, Baduwa, Mogalaha, Kunwar,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		Bandoh, Ramkola, Baluwa, Sonaura Khurd, Vishunpur-1st, Dumariya, Sonaura Bujurg, Rigauli, Khajur Gawa, Bhaisala, Bhagwanpur, Chhitahi Khurd, Powa, Ahirauli, Bankata, Kahrauli, Taal Banjaraha, Sangad, Gerui Khurd, Baraipar, Mirhiriya, Goplapur, Pachma, Musabar, Shivpur Karmahawa, Janakpur, Tenuwa Vishambharpur, Gulariha, Bharwaliya, Machhali gaon, Bargadahi, Chauri, Karimnagar, Inderpur, Ramwapur, Vishunpur-2nd, Madhopur, Gopalganj Urf Harnampur, Bhaurabari, Chandipur, Aligrah, Muhammadpur urf hagana, Lakshamipur-2nd, Sarpataha, Mohnag, Muhammadpur urf Jangalbabhan, Suras, Rajpur, Chaumukha, Thakur Nagar, Basantpur, Banbhagalpur, Campiernagar, Loharpurwa.
	Bharohiya	Jangal Bihuli, Jangal Agahi, Kalyanpur, Aktahwa, Sahabganj, Jangal Jhajhwa, Kui, Makhnaha, Bagahibhari, Badhya, Kartahari, Chauk Mafi, Hadkhori, Pachgawa, Bhuidharpur, Majhauna, Hirua, Fardahani, Thakurapar, Baan, Jagdishpur, Rakhukhor, Nuruddin Chak, Gopalapur, Tighara, Harpur, Kolhua, Rampur Kaithwalia, Ramawapur, Bharohiya, Sarhari, Badhani, Budheli, Bistauli, Bhambhaur, Laxmipur, Niba, Mangalpur, Manjhariya, Jaswal, Sakhi, Bairghata, Ranadeeh, Madaha, Nainsar, Rajabari, Turkwalia, Barahpati.

2- The notification no.4/2018/sa-57/38-2-2018-24B/2017, dated 16-01-2018 concerning the creation of Block-Pipiganj, district-Gorakhpur is hereby cancelled and Block Bharohiya is created instead of Pipiganj. Headquarter of Block- Bharohiya will be established in Bharohiya.

By Order,

Anurag Srivastava
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।